इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 21001:2018 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 16 | अंक संख्या 10 | मई, 2024 | पृष्ठों की संख्या - 09

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ 2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ 2
बैंकिंग जगत की घटनाएँ....................3
विनियामक के कथन 4
आर्थिक संवेष्टन 5
नयी नियुक्तियाँ..............................5
विदेशी मुद्रा..................................6
शब्दावली.....................................6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी..........6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां 7
संस्थान समाचार 7
नयी पहलकदमी 8
बाजार की खबरें 8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

बैंक, एनबीएफसी अपने परिचालन जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करें: भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में सभी विनियमित निकायों (आरई) को उनके परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचे के साथ मजबूत सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम लागू करने को कहा है। सभी आरई को प्रेषित अपने परामर्शी नोट में, शीर्ष बैंक ने निर्धारित किया है कि आरई अन्य पक्षों/बाहरी निकायों के साथ कोई करार उन पर उचित सावधानी बरतने के बाद ही करेंगे। उन्हें इस बात का सत्यापन अवश्य करना होगा कि इन निकायों के पास, सामान्य एवं चुनौतीपूर्ण समय में, आरई के महत्वपूर्ण परिचालनों की रक्षा हेतु न्यूनतम समतुल्य स्तर की परिचालन सुदृढ़ता है। आरई को बाधाओं हेतु अपनी जोखिम वहन क्षमता तथा सहनशीलता का आकलन करना चाहिए तथा इसके अनुसार चुनौतीपूर्ण समय में लागू करने हेतु प्रतिक्रिया एवं बहाली की योजनाएँ बनानी चाहिए। पूर्ववर्ती चुनौतियों से मिली सीखों को शामिल कर इन योजनाओं को समय-समय पर अद्यतन करना चाहिए।

विदेशी मुद्रा के अनधिकृत व्यापार में बैंकिंग चैनलों का दुरुपयोग रोकने हेतु बैंक अधिक सतर्क बनें: भारतीय रिजर्व बैंक

विदेशी मुद्रा कारोबार हेतु अधिकृत बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिक सतर्क बनने तथा ज्यादा सावधानी बरतने को कहा है ताकि विदेशी मुद्रा के अनधिकृत व्यापार में बैंकिंग चैनलों का दुरुपयोग रोका जा सके। केंद्रीय बैंक ने यह परामर्श इसे ऐसे मामलों का पता लगने के बाद दिया है जिसमें अनधिकृत निकाय भारतीय निवासियों को विदेशी मुद्रा व्यापार सुविधाओं की पेशकश बेहिसाब/अत्यधिक प्रतिफल के साथ कर रहे थे। जब भी श्रेणी – 1 के अधिकृत डीलर को किसी खाते के जरिए अनधिकृत विदेशी मुद्रा संव्यवहार किए जाने का पता चले, उन्हें इसे उचित समझी गई आगामी कार्यवाही हेतु प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार को रिपोर्ट करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि अधिकृत डीलर श्रेणी – 1 बैंक अपने ग्राहकों को विदेशी मुद्रा कारोबार केवल 'अधिकृत व्यक्तियों' से तथा 'अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म' पर करने को कह सकते हैं।

भिन्न समापन तिथियों वाले फ्यूचर्स अब क्रॉस-मार्जिन लाभ उठा सकेंगे: सेबी

पूर्ववर्ती व्यवस्था जिसमें क्रॉस-मार्जिन लाभ तभी मिलता था जब दोनों सहसंबद्ध सूचकांकों (या एक सूचकांक तथा इसके घटकों) की एक ही समापन तिथि हो, से हटकर सेबी ने इस लाभ को भिन्न समापन तिथियों वाली पोजीशन के समंजन हेतु डेरिवेटिव खंड में इंडेक्स फ्यूचर पोजीशन तथा घटक स्टॉक फ्यूचर पोजीशन के लिए लागू कर दिया है। भिन्न समापन तिथियों वाले सहसंबद्ध सूचकांकों में पोजीशन के समंजन पर 40% स्प्रेड मार्जिन लगेगा जबकि एक ही समापन तिथि वाले पोजीशन के लिए मौजूदा मार्जिन 30% है। भिन्न समापन तिथियों वाले सूचकांक तथा इसके घटकों में पोजीशन के समंजन पर 35% मार्जिन लगेगा जबकि एक ही समापन तिथि वाले पोजीशन के लिए मौजूदा मार्जिन 25% है। स्टॉक एक्सचेंज तथा समाशोधन निगम, भागीदारों के क्रॉस मार्जिन कार्यकलापों पर निगरानी रखने हेतु जिम्मेदार होंगे।

संयुक्त म्यूचुअल फंड खातों में नामांकन ऐच्छिक

कारोबार में सुगमता लाते हुए, सेबी ने संयुक्त रूप से धारित म्यूचुअल फंड खातों में नामांकन ऐच्छिक कर दिया है। सभी मौजूदा एकल यूनिटधारकों जिनके पास म्यूचुअल फंड एकल या संयुक्त रूप से हैं, को नामांकन करने या नामांकन का विकल्प छोड़ देने हेतु 30 जून, 2024 तक का समय दिया गया है। अनुपालन न करने पर आहरण के लिए उनका खाता फ्रीज़ कर दिया जाएगा।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर शेयरों की खरीद संबंधी फेमा विनियमों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधन

अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर भारतीय कंपनियों के शेयरों की खरीद संबंधी फेमा विनियमों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधन किया गया है। तदनुसार, अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज पर एक भारतीय कंपनी के सूचीबद्ध इक्विटी शेयर के क्रय/अभिदान की आगम राशि या तो

भारत में किसी बैंक खाते में प्रेषित की जाएगी अथवा भारतीय कंपनी के विदेशी मुद्रा खाते में जमा की जाएगी। इक्विटी शेयरों की बिक्री से प्राप्त राशि (कर घटा कर) भारत के बाहर भेजी जा सकती है या अनुमत धारक के बैंक खाते में जमा की जा सकती है। अधिकृत डीलर श्रेणी – 1 बैंक तथा निवेशिती भारतीय कंपनी एक अधिकृत डीलर श्रेणी – 1 बैंक के जरिए, एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज पर, अनुमत धारकों के बीच अंतरणों से इतर, अनुमत धारक द्वारा इक्विटी शेयरों के क्रय/अभिदान (जहां ऐसा क्रय/अभिदान यथा एफपीआई वर्गीकृत है), की जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक को देंगे। विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमों में संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि निधियों का उपयोग अथवा भारत को प्रत्यावर्तन न होने तक विदेशी वाणिज्यिक उधार (External Commercial Borrowings) द्वारा उगाही गई निधियाँ या अमरीकी डिपाजिटरी रसीदों (American Depository Receipts) या वैश्विक डिपाजिटरी रसीदों (Global Depository Receipts) या भारत में निगमित कंपनियों के इक्विटी शेयरों की प्रत्यक्ष सूचीबद्धता से उगाहे संसाधन, भारत से बाहर बैंक में विदेशी मुद्रा खाते में रखे जाएंगे।

निवेशकों के हितों की रक्षा करते हुए दक्ष कार्य संचालन के लिए एआरसी को भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निदेश

निवेशकों के हितों की रक्षा करने तथा आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों का दक्ष कार्य संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक ने एआरसी के लिए मास्टर निदेश जारी किए हैं। तदनुसार, प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्निर्माण का व्यवसाय शुरू करने की इच्छुक कंपनियों को निरंतर आधार पर न्यूनतम 300 करोड़ रुपए की निवल स्वामित्व वाली निधियों (Net Owned Fund) की आवश्यकता होगी। अपना व्यवसाय शुरू करने से पूर्व निकाय पंजीकरण हेतु आवेदन कर भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्राप्त करेगा। कोई एआरसी अपने खुद के उपयोग हेतु निवेश को छोड़कर,भूमि या भवन में निवेश नहीं करेगी; यह भी कि निवेश इसके स्वामित्व वाली निधियों के केवल 10% तक ही किया जा सकेगा। एआरसी जमाराशियों के जरिए धन नहीं जुटा सकते। उन्हें अपनी कुल जोखिम भारित आस्तियों के न्यूनतम 15% का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) अवश्य बनाए रखना होगा। जिन सनदी लेखाकारों, वकीलों तथा मूल्यांककों ने अपनी पेशेवर सेवाएँ देते समय गंभीर अनियमितताएँ बरती हैं, उनके विवरण एआरसी द्वारा भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को अनिवार्यत: रिपोर्ट किए जाएंगे।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

सार्वभौमिक बैंकों में रूपान्तरण हेतु एसएफबी को भारतीय रिजर्व बैंक का मार्गदर्शन

लघु वित्त बैंकों (Small Finance Banks aka SFBs) से सार्वभौमिक बैंकों में स्वैच्छिक रूपान्तरण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने रास्ता निर्धारित किया है। इसके अनुसार, एसएफबी को एक मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होना चाहिए तथा पूर्ववर्ती तिमाही के आखिर में इसकी (लेखापरीक्षित) न्यूनतम 1,000 करोड़ रुपए की न्यूनतम निवल मालियत होनी चाहिए। उन्हें एसएफबी हेतु निर्धारित 15% का सीआरएआर (पूंजी से जोखिम भारित आस्ति अनुपात) अवश्य रखना चाहिए तथा न्यूनतम पाँच वर्षों के संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड सहित अनुसूचित स्टैटस वाला होना चाहिए। शेयरधारिता के संबंध में, पात्र एसएफबी के पास निर्दिष्ट प्रवर्तक होने का अधिदेश नहीं है। तथापि, यदि इसके पास प्रवर्तक मौजूद हैं तो रूपान्तरण के पश्चात भी उन्हें यथा प्रवर्तक बने रहना चाहिए। रूपान्तरण के दौरान प्रवर्तक जोड़ने या बदलने की अनुमति नहीं है। रूपांतरित सार्वभौमिक बैंक में मौजूदा प्रवर्तकों की शेयरधारिता की कोई नयी अनिवार्य लॉक-इन अपेक्षा नहीं है। रूपान्तरण के बाद, बैंक पर गैर-परिचालित वित्तीय होल्डिंग कंपनी ढांचे हेतु सहित सभी प्रचलित मानक लागू होंगे।

आरई को भारतीय रिजर्व बैंक का आदेश: ऋण संवितरण, ब्याज लगाने में उचित व्यवहार संहिता का पालन करें

ऋणों पर ब्याज लगाने में कुछ कर्जदाताओं द्वारा अपनाई जा रही अनुचित प्रथाओं की जानकारी मिलने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों तथा एनबीएफसी को उचित व्यवहार संहिता का पालन करते हुए, ऋण संवितरण व ब्याज लगाने की उनकी प्रथाओं की समीक्षा करने को कहा है। यह संहिता आरई को 2003 में जारी की गई थी। आरई को उनकी ऋण मूल्यन नीति में पर्याप्त स्वतन्त्रता देते हुए यह सही तथा पारदर्शी तरीके से ब्याज लगाने की पक्षधर है। निदेश, भुगतान बैंकों को छोड़, बैंकों तथा एनबीएफसी पर लागू हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को जब भी इन कुप्रथाओं का पता चलता है, यह कर्जदाता को सूचित करता है कि वे अतिरिक्त लिया हुआ ब्याज तथा प्रभार ग्राहक को लौटा दें। यह कर्जदाताओं को प्रोत्साहित करता है कि ऋण वितरण हेतु कुछ मामलों में वे चेक की बजाय ऑनलाइन खाता अंतरण का उपयोग करें।

कर्जदाताओं को भारतीय रिजर्व बैंक का आदेश: कर्जदारों को 'मुख्य तथ्य विवरण' दें, क्लॉज़ समझाएँ

ऋण करार करते समय कर्जदार सुविज्ञ निर्णय लेने हेतु सशक्त हों, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मौजूदा कर्जदारों को नए ऋणों सहित, 1 अक्तूबर, 2024 को या इसके बाद मंजूर सभी नए खुदरा व एमएसएमई मियादी ऋणों के कर्जदारों को 'मुख्य तथ्य विवरण' (Key Fact Statement aka KFS) देने को कहा है । केएफएस में एक ऋण करार के संबंध में सरल, सुगम्य भाषा में ऋण करार संबंधी मुख्य जानकारी मानक प्रारूप में होती है। कर्जदाताओं को कहा गया है कि कर्जदारों को केएफएस की विषय वस्तु समझाएँ और एक पावती लें की वे इसे समझ गए हैं। केएफएस, सात दिनों या अधिक की अवधि के ऋणों हेतु न्यूनतम तीन कार्यदिवसों तथा सात दिनों से कम की अवधि के ऋणों हेतु न्यूनतम एक कार्यदिवस के लिए मान्य होगा। इसमें वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) का गणना पत्रक तथा ऋण अवधि के ऊपर ऋण परिशोधन की तालिका होगी। जहां भी आरई ऐसे प्रभारों की वसूली में शामिल है, प्रत्येक भुगतान हेतु कर्जदार को रसीदें तथा संबन्धित दस्तावेज़, वाजिब समय के भीतर सौंपे जाने चाहिए। केएफएस में जिस शुल्क या प्रभार का जिक्र नहीं है, उसकी वसूली कर्जदार की स्पष्ट सहमति के बिना, ऋण अवधि के दौरान किसी चरण पर नहीं की जा सकती। यह निदेश सभी वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा एनबीएफसी (एचएफसी सहित) पर लागू है। तथापि क्रेडिट कार्ड प्राप्यों को इन प्रावधानों से छूट दी गई है।

निवासी निकायों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सोने की कीमतों की हेजिंग में लचीलेपन की सुविधा

हाल के समय तक बैंकों जैसे निवासी निकायों को सोने के मूल्य पर जोखिम के प्रति एक्सपोजर को उन आईएफएससी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथारिटी (आईएफएससीए) द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, में हेज करने की अनुमति थी। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों में ढील देकर ऐसे निकायों को आईएफएससी में एक्सचेंजों पर सहित, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर(आईएफएससी) में ओटीसी डेरिवेटिव का उपयोग कर उनका एक्सपोजर हेज करने की तुरंत प्रभाव से अनुमति दे दी है। इससे उन्हें सोने के मूल्य पर जोखिम के प्रति उनके एक्सपोजर को हेज करने में और लचीलापन मिलेगा।

विनियामक के कथन

भारतीय बैंक डेरिवेटिव बाज़ार में अधिक सक्रियता से भाग लें: भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर् श्री शक्तिकांत दास

बार्सलोना में FIMMDA-PDAI वार्षिक सम्मेलन में, अपना बीज वक्तव्य देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने भारतीय बैंकों का अह्वान किया कि वे घरेलू व विदेश दोनों जगह, रुपया डेरिवेटिव बाज़ार में अपनी भागीदारी बढ़ाएँ (अलबत्ता विवेक सहित)। उनका कहना था कि वर्तमान में वैश्विक बाज़ारों में भारत की भागीदारी बहुत कम है। तथापि उन्होंने उन क्षेत्रों का जिक्र किया जिसमें और कार्य करने की आवश्यकता है। श्री दास के अनुसार, मूल्यन में पारदर्शिता, खुदरा ग्राहकों के साथ बड़े ग्राहकों के सम मूल्य पर लेनदेन, कारगर मार्केट मेकिंग तथा NDS-OM (अर्थात निगोशिएटेड सौदा प्रणाली-आदेश मिलान) सभी में और सुधार की जरूरत है। यह उल्लेख करते हुए कि छोटे तथा बड़े ग्राहकों हेतु विदेशी मुद्रा बाज़ार में मूल्यन में अंतर औचित्य से अधिक है, श्री दास की राय थी की बैंकों को विदेशी मुद्रा खुदरा प्लेटफॉर्म के उपयोग में सहूलियत बढ़ानी चाहिए। वर्तमान में जो प्रयास चल रहे हैं, उनके बारे में बोलते हुए श्री दास ने कहा कि बाज़ार में सुधार लाते हुए अधिक दक्षता हासिल करने हेतु प्रौद्योगिकी का बढ़ कर उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा की सिद्धांत- आधारित विनियम से, भागीदार आधार को व्यापक बनाकर, नए उत्पाद व प्लेटफॉर्म लाकर तथा विदेशी बाज़ारों तक पहुँच संभव कर नवोन्मेष को बढ़ावा दिया जा रहा है।

अनियंत्रित ऋण वृद्धि तथा उत्तरवर्ती जोखिमों के विषय में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री राव की चेतावनी

अनियंत्रित ऋण वृद्धि एक वित्तीय निकाय के स्वास्थ्य हेतु नुकसानप्रद है तथा प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न कर सकती है, इस पर ध्यान दिलाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम राजेश्वर राव ने मिंट द्वारा आयोजित इंडिया इन्वेस्टमेंट समिट व अवार्ड्स में अपने वक्तव्य में ज़ोर देकर कहा कि जोखिम न्यूनीकरण हेतु शीर्ष बैंक सतत् सजग रहेगा। श्री राव ने आगे कहा कि अनियंत्रित ऋण वृद्धि तथा ऋण अनुशासन या हामीदारी मानकों में ढिलाई, प्रणाली को क्षति पहुंचा सकती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि व्यापक पोर्टफोलियो स्तर पर आस्ति गुणवत्ता में कोई संकट दृष्टव्य नहीं है, पर कुछ खंडों में रिपोर्ट की गई निरंतर उच्च ऋण वृद्धि के चलते विनियामक हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। अपने सम्बोधन में उप गवर्नर ने बैंक उधारों पर एनबीएफसी की बढ़ती निर्भरता से उत्पन्न विनियामक चिंताओं की भी बात की। उन्होंने चेताया की बैंकों/एनबीएफसी द्वारा फिनटेक भागीदारों द्वारा कर्जदारों को निर्दिष्ट तथा ऑनबोर्ड करने में बढ़ोत्तरी का परिणाम हामीदारी मानकों का स्तर गिरने तथा जोखिमों के अनुचित मूल्य निर्धारण में नहीं होना चाहिए।

श्री राव ने कहा की प्रौद्योगिकीय विकास तथा नवोन्मेष वित्तीय फर्मों की पहुँच बढ़ाने, ग्राहकों हेतु उत्पाद पेशकशों व सुविधाओं के दायरे को व्यापक बनाने तथा अब तक वंचित रहे समूहों को वित्त की उपलब्धता का विस्तार करने की अत्यधिक संभावना रखते हैं। तथापि वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में नए प्रवेशकर्ता जिनमें फिनटेक फर्म शामिल हैं बाज़ार संकेन्द्रण तथा प्रतियोगिता को प्रभावित कर सकते हैं एवं नयी चुनौतियाँ खड़ी कर सकते हैं।

युवा पीढ़ी को बचत करने, बजट बनाने वित्तीय आयोजना में समर्थ बनाने की तुरंत आवश्यकता: भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे

मदुरै में वित्तीय साक्षरता पर एक संगोष्ठी में बोलते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे ने लोगों विशेषकर युवा पीढ़ी में वित्तीय आयोजना बजट बनाने तथा बचत करने की प्रवृति विकसित करने पर ज़ोर दिया ताकि उनमें कम उम्र से वित्तीय अनुशासन आ सके । उनकी बात एक व्यापार प्रकाशन द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर आधारित थी जिसमें पता चला कि 50% भारतीय क्रेता दीर्घकालिक वित्तीय आयोजना पर ध्यान देने की बजाय 'अभी उपभोग कर लेने' का विकल्प चुन रहे हैं। वित्तीय साक्षरता का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि समावेशी विकास के विकासात्मक उद्देश्य प्राप्त करना आवश्यक है। तथापि उनका कहना था कि चूंकि वित्तीय सेवाएँ अब ज़्यादातर ऑनलाइन होती जा रही हैं, डिजिटल प्रौद्योगिकी का ज्ञान न रखने वालों के वंचित रह जाने का जोखिम मौजूद है। अत: डिजिटल खाई को पाटने के लिए, आबादी के विभिन्न वर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के अनुरूप निर्मित डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम समय की जरूरत हैं। उन्होंने आगे ज़ोर देकर कहा कि चूंकि महिलाएं खरीद के निर्णय लेकर तथा अपने परिवार का वित्तीय कल्याण सुनिश्चित करके, दिन प्रतिदिन के खर्चे संभालते हुए परिवारों में बजट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, वित्तीय साक्षरता केंद्रों को सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं की वित्तीय साक्षरता आवश्यकताओं हेतु कार्यक्रम उपलब्ध हों।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी मासिक आर्थिक समीक्षा, मार्च 2024 की मुख्य बातें:-

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 के 6.7% से घट कर वित्त वर्ष 2023-24 में 5.4% हो गया।
- समग्र आर्थिक कार्यकलापों का माप वैश्विक मिश्र पीएमआई, मार्च, 2024 में 52.3 रहा, जो जून 2023 से अपने उच्चतम पर है।
- मार्च 2004 के महीने हेतु सकल जीएसटी राजस्व 1.78 लाख करोड़ रुपये रहा। यह अब तक दर्ज दूसरा सबसे अधिक संग्रह है।
- चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में इसकी पूर्ववर्ती तिमाही में जीडीपी के 1.3% से घट कर 1.2% हो गया।
- भारत का वस्तु व्यापार घाटा जो वित्त वर्ष 2022-23 में 264.9 बिलियन अमरीकी डॉलर था, वित्त वर्ष 2023-24 में घट कर 241.5 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गया।
- वित्त वर्ष 2023-24 में वस्तु निर्यातों में 3.1% की कमी आई है तथा आयातों में 5.2%. की गिरावट हुई है।
- वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में सेवाओं के निर्यातों में 5.2% की वृद्धि हुई जबकि पूर्ववर्ती तिमाही में यह वृद्धि 4.2% थी।
- वित्त वर्ष 2023-24 में 41 बिलियन अमरीकी डालर की निवल एफपीआई मिली जबकि पूर्ववर्ती दो वर्षों में निवल आउटफ़्लो हुआ था।
- दिसंबर 2023 के आखिर में जीडीपी से बाह्य ऋण का अनुपात 18.7% था जो सितंबर 2023 के 18.8% से थोड़ा सा कम है।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
श्री टी रबी शंकर	पुनर्नियुक्त उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	26 अप्रैल 2024 के दिन करोड रुपए	26 अप्रैल 2024 के दिन मिलियन अमरीकी डालर	विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में प्रवृत्तियाँ (मिलियन अमरीकी डालर) पिछले 6 माह
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	5317256	637922	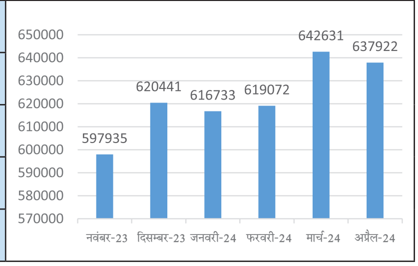
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4665274	559701	
1.2 सोना	462881	55533	
1.3 विशेष आहरण अधिकार	150439	18048	
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	38661	4639	

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

यथा 30 अप्रैल 2024 एफसीएनआर (बी) जमाराशियों हेतु वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) की आधार दरें – मई 2024 माह हेतु लागू

मुद्रा	दर
अमरीकी डॉलर	5.32
जीबीपी	5.1999
यूरो	3.907
जापानी येन	0.077
कनाडाई डॉलर	5.0000
आस्ट्रेलियाई डॉलर	4.35
स्विस फ्रैंक	1.450566

मुद्रा	दर
न्यूजीलैंड डॉलर	5.5
स्वीडिस क्रोन	3.891
सिंगापुर डॉलर	3.5870
हांगकांग डॉलर	3.81678
म्यांमार रुपया	3.00
डैनिश क्रोन	3.5360

स्रोत: www.fbil.org.in

शब्दावली

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (Asset Reconstruction Company) एक विशेष प्रकार की वित्तीय संस्था होती है जो बैंक या वित्तीय संस्था से अशोध्य ऋण परस्पर सहमत मूल्य पर खरीद कर ऋणों अथवा संबद्ध प्रतिभूतियों की खुद वसूली करने का प्रयास करती है। वे वित्तीय आस्ति को डिबेंचर या बांड या डिबेंचर की प्रकृति की किसी अन्य प्रतिभूति जारी कर अथवा संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था से करार कर के हासिल कर सकती हैं। एआरसी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकृत होती हैं तथा इनका विनियमन प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के तहत होता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

हेज अनुपात

हेज अनुपात, समग्र पोजीशन से ओपेन पोजीशन की हेज का अनुपात अथवा तुलनात्मक मान है। यह एक महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंधन मान है जो हेजिंग लिखत में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न संभावित जोखिम की सीमा के मापन हेतु प्रयुक्त होता है। जब हेज अनुपात का

मान 1 के करीब होता है तो स्थापित स्थिति 'पूर्णत: हेज्ड' मानी जाती है। दूसरी तरफ, यदि हेज अनुपात का मूल्य 0 के करीब होता है तो यह 'अन्हेज्ड' पोजीशन कही जाती है।

हेज अनुपात = हेज मान/कुल पोजीशन मान

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

मई 2024 माह के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
वर्तमान बैंकिंग में धोखाधड़ी के निवारण व प्रबंधन पर कार्यक्रम	13-14 मई 2024	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित क्रेडिट पेशेवरों हेतु परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	13-15 मई 2024	
एमएसएमई (MSME) वित्तपोषण पर कार्यक्रम	16-18 मई 2024	
कारगर शाखा प्रबंधन पर कार्यक्रम	20-22 मई 2024	
सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बैंकों व वित्तीय संस्थानों के विधि अधिकारियों हेतु कार्यक्रम	21-24 मई 2024	

संस्थान समाचार

''फिनटेक, सीबीडीसी व क्रिप्टोकरेंसी: भारत में वित्तीय संरचनात्मक बदलाव'' पर आईआईबीएफ द्वारा वेबिनार का आयोजन

आईआईबीएफ ने 4 मई 2024 को ''फिनटेक, सीबीडीसी व क्रिप्टोकरेंसी:भारत में वित्तीय संरचनात्मक बदलाव'' पर वेबिनार का आयोजन किया। व्याख्यान भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व उप गवर्नर श्री आर. एस. गांधी ने दिया। वेबिनार में बैंकर उपस्थित थे तथा उन्होंने इसकी भरपूर प्रशंसा की।

प्रमाणित वित्तीय आयोजक प्रमाणन कार्यक्रम हेतु आईआईबीएफ का एफपीएसबी के साथ समझौता

संस्थान ने वित्तीय आयोजना पेशे हेतु वैश्विक मानक निर्धारक निकाय की भारतीय अनुषंगी तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणित वित्तीय आयोजक (सीएफपी) प्रमाणन कार्यक्रम की स्वामी एफपीएसबी इंडिया के साथ कार्यनीतिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस महत्वपूर्ण भागीदारी के तहत, आईआईबीएफ से सीएआईआईबी योग्यता पूरी कर चुके तथा बीएफएसआई क्षेत्र में तीन वर्षों का मान्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए सीएफपी प्रमाणन के प्रथम तीन मॉड्यूल उत्तीर्ण करने से छूट होगी तथा वे फास्ट ट्रैक राह से एफपीएसबी इंडिया के समन्वित वित्तीय आयोजना मॉड्यूल में सीधे नामांकन करा सकेंगे। अधिक जानकारी www.iibf.org.in पर मौजूद है ।

जलवायु जोखिम तथा संधारणीय वित्तपोषण पर आईआईबीएफ व आईएफसी का संयुक्त प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

संस्थान ने जलवायु जोखिम तथा संधारणीय वित्तपोषण पर प्रमाणन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ करार किया है। पाठ्यक्रम दो भागों में बंटा है-प्रारंभिक तथा उन्नत। इसका स्वरूप खुद की गति से पूरा किए जाने वाली ई–लर्निंग का है जिसमें प्रत्येक भाग में 60 घंटे की लर्निंग और इसके बाद मूल्यांकन है। सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर आईआईबीएफ व आईएफसी द्वारा संयुक्त प्रमाणपत्र दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी www.iibf.org.in पर उपलब्ध है।

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक हेतु विषय

अप्रैल-जून 2024 तिमाही हेतु बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक का विषय ''बैंकों में जोखिम प्रबंधन-विनियमों से आगे'' रखा गया है।

परीक्षाओं हेतु दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण सूचनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान की प्रथा रही है कि विनियामक (कों) द्वारा जारी हाल के परिवर्तनों/दिशानिर्देशों संबंधी प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाएँ ताकि

यह जांचा जा सके कि क्या अभ्यर्थी वर्तमान घटनाओं की जानकारी रखते हैं। तथापि, प्रश्नपत्र तैयार करने की तिथि से वास्तविक परीक्षा तिथियों तक घटनाओं/दिशानिर्देशों में बदलाव हो सकता है।

इन मुद्दों के कारगर समाधान हेतु, यह निर्णय लिया गया है कि :

1. संस्थान द्वारा मार्च 2024 से अगस्त 2024 की अवधि हेतु संचालित परीक्षाओं के मामले में, प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य से केवल 31 दिसंबर 2023 तक विनियामक(कों) द्वारा जारी अनुदेश/दिशानिर्देश तथा बैंकिंग व वित्त की महत्वपूर्ण घटनाएँ शामिल की जाएंगी।
2. संस्थान द्वारा सितंबर 2024 से फरवरी 2025 की अवधि हेतु संचालित परीक्षाओं के मामले में, प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य से केवल 30 जून 2024 तक विनियामक(कों) द्वारा जारी अनुदेश/दिशानिर्देश तथा बैंकिंग व वित्त की महत्वपूर्ण घटनाएँ शामिल की जाएंगी।

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान को दिया गया अपना ई मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक प्रतिवेदन ई मेल से पाने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें

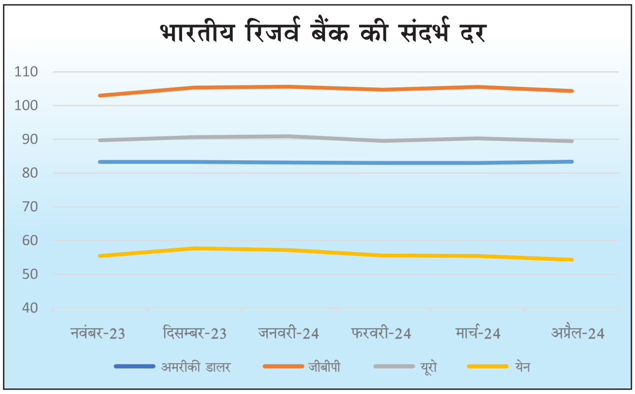

स्रोत: एफबीआईएल

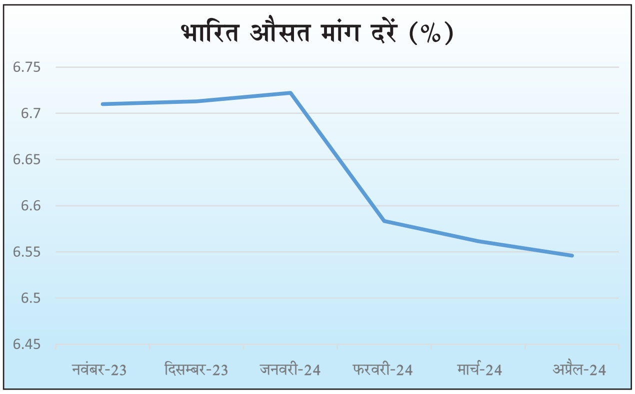

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

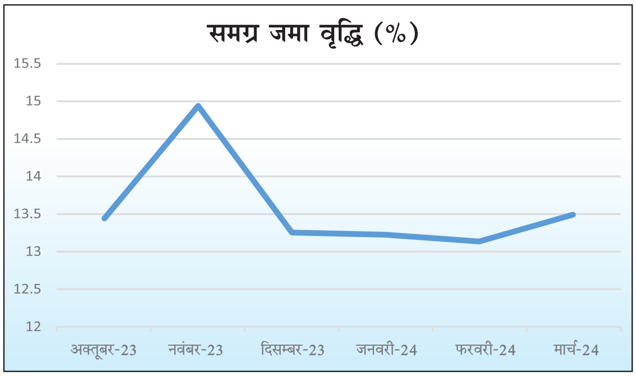

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अप्रैल, 2024

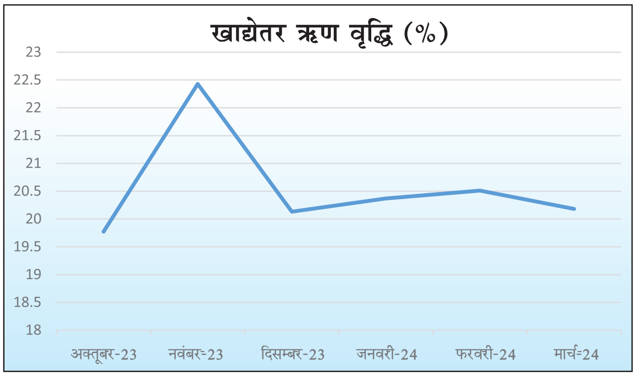

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अप्रैल, 2024

● Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

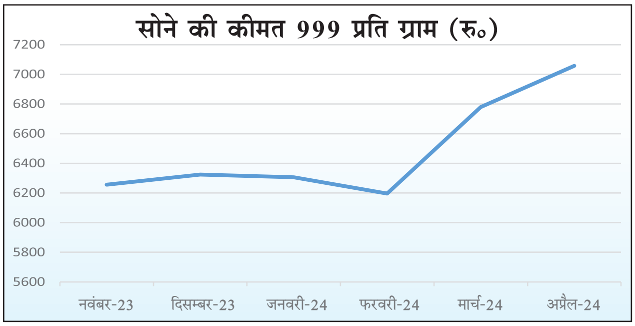

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

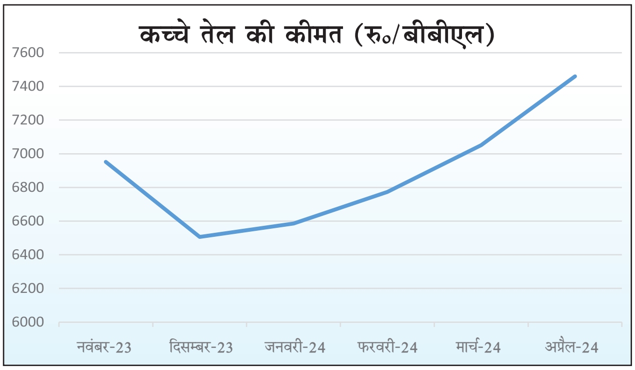

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

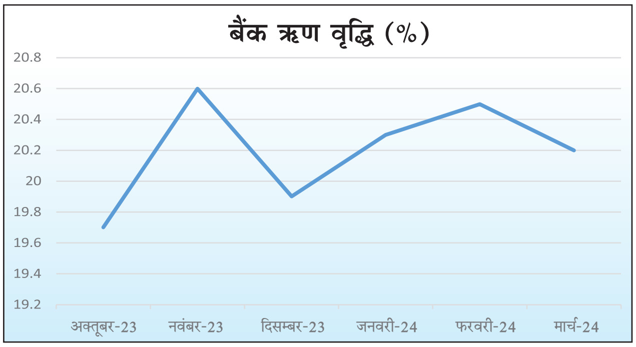

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

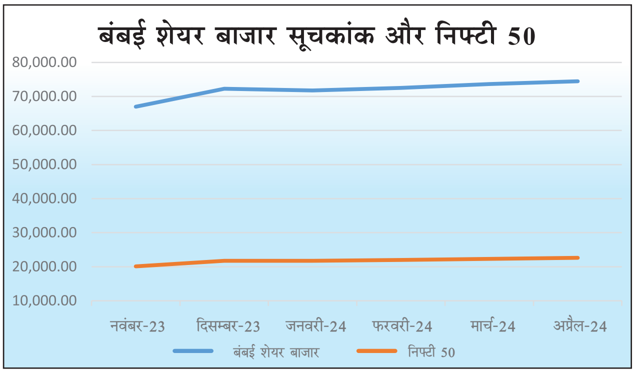

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W),
Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in